**SSR-2019-1**
**अति–आवश्यक**
ई–मेल / डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः प.3(3)(2)रोल / निर्वा / SSR-2019 / 2018 / 12534 जयपुर, दिनांक 14.12.18

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर
प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : अर्हता दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व विभिन्न प्रारम्भिक कार्य करने बाबत ।
प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/ 2018-III दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 एवं पत्र क्रमांक 23/RJ/2018/NS-I दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 तथा इस विभाग के पत्र क्रमांक 12441 दिनांक 06.12.2018 एवं पृष्ठांकन संख्या 12474 दिनांक 12.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने हेतु आयोग के पत्र दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसकी सूचना विभाग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 06.12.2018 द्वारा आपको प्रेषित कर दी गयी है।

2. भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 द्वारा निर्धारित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 12.12.2018 द्वारा निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम / तिथियॉ निम्न प्रकार से है –

| | | |
|---|---|---|
| 1 | एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन | 26 दिसम्बर, 2018 (बुधवार) |
| 2 | दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि | 26 दिसम्बर, 2018 (बुधवार) से<br>25 जनवरी, 2019 (शुक्रवार) |
| 3 | **मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा / स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर पठन करना एवं सत्यापन करना।** | **12 जनवरी, 2019 (शनिवार) व<br>19 जनवरी, 2019 (शनिवार)** |
| 4 | **राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्त्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां** | **13 जनवरी, 2019 (रविवार) व<br>20 जनवरी, 2019 (रविवार)** |
| 5 | दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण | 11 फरवरी, 2019 (सोमवार) से पूर्व |
| 6 | डेटाबेस अपडेट करना, फोटोग्राफ मर्ज करना, कन्ट्रोल टेबलस् को अपडेट करना एवं पूरक (Supplements) की तैयारी एवं मुद्रण | 18 फरवरी, 2019 (सोमवार) से पूर्व |
| 7 | मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन | 22 फरवरी, 2019 (शुक्रवार) |

3. मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों का सुव्यवस्थिकरण किया जाना है। चूंकि प्रारूप प्रकाशन की तिथि में समय काफी कम है। इसलिए विधानसभा आम चुनाव के दौरान राज्य के विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थापित किये गये 169 सहायक मतदान केन्द्रों को मूल मतदान केन्द्र में बदला जाकर भागवार **प्रारूप मतदाता सूची 2019** तैयार की जायेगी, जिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सहायक मतदान केन्द्र स्थापित है वहां पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र 5 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों की सूची तैयार कर विभाग एवं भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित करे। यह कार्य ईआरएमएस/ईआरओ नेट के माध्यम से वर्तमान विधानसभा आम चुनाव के दौरान प्रयुक्त मतदाता सूची के आधार पर किया जायेगा। इस विषय में कृपया विभाग के प्रासंगिक पत्र 12474 दिनांक 12.12.2018 का भी अवलोकन कर ले।

4. वर्तमान विधानसभा आम चुनाव के दौरान संदर्भ तिथि 01.01.2018 के क्रम में मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 28 सितम्बर, 2018 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची, जिसमें पूर्व मतदाता सूची 2018 एवं इसके साथ 2 पूरक सूचियां संलग्न है, का एकीकरण ईआरएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। यह कार्य आगामी 7 दिवस में पूर्ण किया जाकर एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची–2019 ईआरएमएस पर उपलब्ध करवा दी जायेगी। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस एकीकृत मतदाता सूची की यथाशीघ्र जॉच कर यह सुनिश्चित करेगे कि इसमें किसी प्रकार की विसंगति तो नहीं है। इसके पश्चात् प्रारूप मतदाता सूची–2019 का प्रिन्ट लिया जाकर आवश्यकतानुसार इसकी प्रतियां जिले की अनुबंधित फर्म के माध्यम से प्रारूप मतदाता सूचियों का मुद्रण प्रारूप प्रकाशन की तिथि से पूर्व कराया जाना सुनिश्चित करे।

5. **पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व की जाने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियां** – जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि अर्हता दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को किया जायेगा। इसलिए प्रारूप प्रकाशन से पूर्व जिला स्तर पर निम्न कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

   5.1 प्रपत्र 1 से 8 में अंकित आंकड़ों का विश्लेषण सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मतदाता सूचियों के आंकड़ों से किया जावे। इस हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे है।

   5.2 **पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान वांछित प्रपत्रों का मुद्रण आदि करवाना** – पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला स्तर पर पर्याप्त संख्या में प्ररूप 6, 7, 8, 8क एवं अन्य प्रपत्रों का मुद्रण करवाया जाना सुनिश्चित करे।

5.3 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम की जानकारी जिला स्तर/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें दी जाये। उन्हें इस बैठक के दौरान प्रारूप प्रकाशन की तिथि से पूर्व प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बूथ स्तरीय अभिकर्त्ता की नियुक्ति का आग्रह किया जाये, ताकि पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान इस कार्यक्रम में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

5.4 **बी.एल.ओ./पर्यवेक्षक की नियुक्ति** – विधानसभा आम चुनाव से पूर्व प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बी.एल.ओ. एवं उन पर पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षकगणों की नियुक्ति की गयी है। इस सूची का पुनरावलोकन कर लिया जावें तथा किसी प्रकार का संशोधन वांछनीय हो तो इसे ERMS पर अपडेट कर दिया जाये।

5.5 **कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार** – अर्हता दिनांक 01.01.2019 के क्रम में सभी पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जुडने से वंचित रह गए है तथा मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता अपने नाम को पुनः सत्यापित कर ले, इस हेतु जिला स्तर पर स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग करते हुए प्रभावी योजना तैयार की जाये, ताकि पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में शत–प्रतिशत पंजीकृत किया जा सके।

कृपया उपरोक्तानुसार अविलम्ब कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीया,

**(डॉ. रेखा गुप्ता)**
अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

**क्रमांकः** प.3(3)(2)रोल/निर्वा/SSR-2019/2018/ **जयपुर, दिनांक**

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
2. अति. निजी सचिव, अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान ।
3. समस्त संभागीय आयुक्त (रोल पर्यवेक्षक), राजस्थान।
4. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।

**उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,**
**राजस्थान, जयपुर**